राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग

क्रमांक प. 21(32)प्रशि/आयो/2017 पार्ट जयपुर, दिनांक : 08.8.2018

1. आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्।

विषय :— राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग (Zone) स्तरीय कार्यालयों का पुर्नगठन कर एकीकृत शिक्षा संकुलों की स्थापना।

महोदय,

प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन, गुणवत्तापूर्ण व उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत स्तर में स्थित राजकीय विद्यालयों के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम—259 के उप नियम(9) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा आज्ञा क्रमांक प. 15(1)प्राशि/संस्थापन/2017 दिनांक 28.01.2017 से राज्य की समस्त 9894 ग्राम पंचायतों हेतु चिन्हित 'राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को (सामान्यतः ग्राम पंचायत का आदर्श विद्यालय) पंचायत रिसोर्स सेन्टर (PRC)' एवं 'संबंधित संस्था प्रधान को ग्राम पंचायत का पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)' नामित किया गया है। इसी आदेश के द्वारा पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) के कर्तव्य एवं दायित्व का भी निर्धारण किया गया है।

राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक : प. 15(1)प्राशि/संस्थापन/2017 दिनांक 07.02.2017 द्वारा पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) एवं उनसे सम्बद्ध विद्यालय को सर्व शिक्षा अभियान हेतु जारी कार्यान्वयन के कार्यतंत्र (Frame Work) अनुसार क्रमशः संकुल केन्द्र प्रभारी (CRCF) एवं संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) घोषित किया गया है।

राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक : प. 15(1)प्राशि/संस्थापन/ 2017 दिनांक 11.04.2017 द्वारा पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) के कर्तव्यों एवं दायित्वों के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मानीटरिंग एवं पर्यवेक्षण (Supervision) हेतु ग्राम पंचायत के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) नियुक्त किया गया है।

भारत सरकार द्वारा सत्र 2018—19 से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), सर्व शिक्षा अभियान (SSA) एवं शिक्षक शिक्षा (TE) को एकीकृत कर 'समग्र शिक्षा अभियान (SMSA)' योजना संचालित की जायेगी। मानव संसाधन विकास